

1-5-14

सुदामाच फरीदेन उपाख्ये। सांघिन-
श्रीवर्त सुदामा विना। कसब हेतु साधन
वापस दे कोता विना। पत्तनली
नाथ कसब कार्यालय दिनांक 8-5-14 को
पेश हो।

8-5-14

सुदामाच फरीदेन उपाख्ये। उमम फंड
को कसब पुनी गई। पत्तनली नाथ
कार्यालय दि. 26-5-14 को पेश हो।

26-5-14


सुदामाच फरीदेन उपाख्ये। दानां कदो
सुदामाच राजीनामा डि. डी. विना जाया
है विद्वान कदोच उद्यत से लिखार
जाला सादिल पत्तनली किपा जाया।
पत्तनली देलल सुमाद होकर कार्यालय
दखन हो।

13-3-15

श्री पत्तनली साफे कदो के प्रपत्र पर कार्यालय
से लखन गी गई। प्रपत्र नं. 151, 152 एत
प्रपत्र नं. 152 विरुद्ध विना है कि विरुद्ध डि. डी.
दिनांक 26-5-14 में अ. नं. $\frac{68}{0.149}$ वाले अध
जगदल कंठिल विना है अथवा उक्त 2 मि
अध पीलाका में लिखत है, अतः उपरोक्तानुसार
सुदामाच को जवाब लखि, पत्तनली कसब
सके तथा नं. $\frac{108}{1.33}$ वाले अध पीलाका
को प्रपत्र नं. 2 लखन प नं. 152 में जोडा
जावे।

एतने कदो के विरुद्ध कार्यालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशायतः राज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>बहाल हुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का इन्वॉल्वमेंट क्रिया / नकल जमावदी सं. 2066-69 के (कम) सं. 27 में आ. सं. 68/0.49 ग्राम पीराका में किये जाने वाले हैं. संबंधित निर्णय एवं डिजी वि० 26.5.14 में (कम) सं. 68/0.49 ग्राम जगडला 'कॉन्क्रीट' के शर्तों हैं जो लिमिटेड प्रूल हैं तथा धारा 152 CPC के तहत दुकल किये जाने योग्य हैं। जहाँ तक (कम) सं. 108/1-33 वाले ग्राम पीराका के निर्णय व डिजी दिनांक 26.5.14 में शामिल करने का प्रश्न है, जो वही के फरक से लाकर नहीं है। संबंधित वही 108/1-33 वाले ग्राम पीराका के बाकल अपेक्षित रूप से स्विकार किये जाने योग्य हैं।</p> <p>आपन स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिजी वि० 26.5.14 में (कम) सं. 68/0.49 वाले ग्राम जगडला के स्थान पर ग्राम पीराका दुकल किये जाता है. इसका नोट निर्णय व डिजी में लाल रंग की ही कॉन्क्रीट किये जाने परावली पैसल शुभाट हीकर धारित है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
भणर (भरतपुर) राज०